FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

हडमानाराम .... बनाम .... खेमाराम

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188 Rt Act .... नं. 113 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.7.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/बाद/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/7/19 को पेश हो।	
30/07/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाढ़ दौरा पर डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/08/19 को पेश हो।	
19/08/19	~~वादी पक्ष~~ अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/10/19 को पेश हो।	
30/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/12/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested

11/12/19

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या - 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या - 2 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या - 1 की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा वकालातनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई, तथा वादीगण वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रुप में वादी संख्या - 4 PW-1 - अचलाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति - मेगवाल निवासी - नया बायतू पटवार मण्डल - हरखाली स्वतंत्र गवाह PW-2 - इन्द्राराम पुत्र मालाराम जाति - मेगवाल निवासी - मूलाणीयों की ढाणी (जीवड़ा) तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर एवम प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी साक्ष्य के रुप में DW-1 - खेमाराम पुत्र बुधराराम जाति - मेघवाल निवासी - नया बायतू तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर का शपथ - पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या - 1 के बीच पिता - पुत्र का रिश्ता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पैतृक एवं खातेदारी की भूमि मौजा - नया बायतू पटवार मण्डल - हरखाली तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर - 519 रकबा - 125.00 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण प्रत्येक का 4/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या - 1 का 1/5 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाशियाँ टांके बने हुए है। लेकिन उक्त भूमि में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा कुपाराम के नाम दर्ज हुई थी तथा कुपाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने एवं वादीगण का परिवार हिन्दु विधि से शासित होने से उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या-1 के साथ वादीगण के जन्म से ही पैदा हो जाता है। इस कारण वादीगण अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 के साथ घोषित करवाने का अधिकारी होने से यह वाद घोषणा का पेश किया है। वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या-1 के साथ अपनी पैतृक भूमि में नहीं होने से प्रतिवादी संख्या-1 वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में कायम मेडों को तोड़कर एवं सम्पूर्ण भूमि का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को करने तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिस कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार घोषित किया जावे। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री रिणछोड़राम सियाग द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2, PW-3 व प्रतिवादी द्वारा DW-1 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमने वादीगण व ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अधिवक्तागणों की बहस सुनी, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा व साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत वादीगण व प्रतिवादी के शपथ-पत्रों पर मनन किया गया बाद अवलोकन व मनन उक्त विवादित भूमि पैतृक साबित होती है तथा उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का बराबर-बराबर का हिस्सा बनना साबित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित पैतृक खातेदारी भूमि मौजा- नया बाटाडू पटवार मण्डल- हाथाली तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 519 रकबा- 125.00 बीघा भूमि में वादीगणों को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शामिल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

श्री विवेक व्यास R.A.S.

स हनुमानराम बनाम खेमाराम

बाबत रा० वाद 88, 188 टि०Act

मुकदमा नं. 113/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेतराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री शिवाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित भूमि मौजा- नया बायतु पटवार मण्डल - हरखाली तहसील-बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 519 रकबा - 125.00 बीघा भूमि में वादीगणों को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार आसतदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम....... मुबलिंग....... बाबत्.......

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह....... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 12 2019 को जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

दस्तखत (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)

ओहदा बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र खेमाराम
2. पुखराज पुत्र खेमाराम
3. ओम प्रकाश पुत्र खेमाराम
4. अचलाराम पुत्र खेमाराम
जाति- मेगवाल निवासी- नया बाड़ा पटवार मण्डल- हरखाली तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

1. खेमाराम पुत्र बुधाराम जाति- मेगवाल निवासी-नया बाड़ा पटवार मण्डल- हरखाली तह०-बायतु जिला-बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक जेटीजीबी बाड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 13:30:56 IST
Reason: SelfAttested